बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

।। संकल्प ।।

विषयः भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 100% अनुमानित लागत व्यय पर कुल रू० 63.43 करोड़ रूपये (तिरसठ करोड़ तेतालीस लाख रू० मात्र) पर सुल्तानगंज नगर परिषद् क्षेत्र के अर्न्तगत Interception & Diversion (I&D) एवं STP के निर्माण हेतु अनुमानित लागत जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 60.22 करोड़ रूपये (साठ करोड़ बाईस लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 3.21 करोड़ रू० (तीन करोड़ ईक्कीस लाख रू० मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

1. सुल्तानगंज नगर परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी घरों/प्रतिष्ठानों एवं शहर के प्रमुख पांच नालो को सिवरेज प्रणाली से जोड़ा जाना है। भूमि की उपलब्धता के आधार पर Interception & Diversion एवं STP का डी०पी०आर० तैयार कर NMCG भारत सरकार की स्वीकृति हेतु भेजा गया था, जिसे NMCG द्वारा दिनांक–01.08.2017 को योजना के क्रियान्वयन के प्रस्ताव के पर **राशि 60.22 करोड़ रूपये** (साठ करोड़ बाईस लाख रू० मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इस योजना अन्तर्गत सिवरेज प्रणाली के माध्यम से आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले Sewage को नाला के जरिये Sewage Treatment Plant तक पहुँचाया जायेगा। सिवेज को ट्रीटमेंट उपन्रात प्रवाह किया जाएगा, ताकि गंगा में होने वाले प्रदूषण को रोका जा सके। आवश्यकतानुसार बीच में Pumping Station का भी निर्माण प्रस्तावित है। ताकि Sewage को STP के माध्यम से ट्रीट किया जाय। योजना का अनुमानित लागत (सेन्टेज सहित) **रू० 63.43 करोड़ (तिरसठ करोड़ तेतालीस लाख रू० मात्र)** है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है।

उक्त परियोजना का Major Component निम्नवत् है:–

Sl. No.	Major Head	Quantity
1.	Development of Sewerage Treatment Plant	10 MLD Capacity
2.	Sewage Pumping Station	04 Nos.
3.	Number of Nalas to be Tapped	05 Nos.
4	Operation & Maintenance	15 Years.

2. सुल्तानगंज बिहार राज्य का एक शहर है, जो एक धार्मिक स्थल है। इसके साथ यह पूर्वी बिहार का भागलपुर जिले का बड़ा शहर है। सुल्तानगंज शहर काफी तेजी से विकास कर रहा है। गंगा नदी लगभग 445 कि0 मी0 की लम्बाई में बिहार से गुजरती है। सुल्तानगंज शहर के दक्षिणी किनारे की ओर लगभग 10 कि0 मी0 की लम्बाई में गंगा नदी पूर्व दिशा की ओर प्रवाह करती है। गंगा नदी के किनारे अवस्थित शहर के Untreated Sewage को गंगा नदी में प्रवाहित नहीं किये जाने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए Interception & Diversion एवं STP का निर्माण किया जाना है। यह निर्माण वर्ष 2050 तक की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। इस योजना अन्तर्गत 5 नाला यथाः 1. Krishna Ghat Nala, 2. Chhuja Gali Nala, 3. Bisharisthan Gopal Road Nala, 4. Near Railway Station Nala, 5. Ajgaibinath Nala से प्राप्त सिवेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा। सुल्तानगंज के सभी आवासीय तथा अन्य प्रतिष्ठानों से निकलने वाले Sewage को नाला के जरिये संबंधित Sewage Treatment Plant तक पहुँचाया जायेगा। ताकि Sewage को STP के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। निर्धारित मापदण्ड के अनुसार Sewage को शोधित कर कृषि कार्य हेतु उपयोग किया जाएगा।

3. वर्तमान समय में नालों से प्राप्त होने वाले सिवेज को ट्रीट करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिसके वजह से नाले से प्राप्त होने वाले पानी सीधे गंगा में प्रवाह हो रहा हैं। नाले से प्राप्त होने वाले सिवेज को साफ करने हेतु Interception & Diversion एवं STP का निर्माण किया जाना है। इस योजना को 18 माह में पूरा किया जाना है। STP के सफल अधिष्ठापन के उपरान्त संवेदक द्वारा अगले 15 वर्षों तक इसका रख–रखाव किया जाना है।

4. सुल्तानगंज शहर में नाले से प्राप्त होने वाली गंदे पानी को ट्रीटमेंट करने हेतु 10 MLD क्षमता के STP एवं Interception & Diversion (NMCG-Namami Gange Programme with 100% funding by NMCG) भारत सरकार द्वारा संपोषित योजना है। वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या– एम–4–26/2013/653/वि० पटना, दिनांक– 25.01.2016 के अनुरूप सेंटेज की राशि कुल 3.21 करोड़ रू० (तीन करोड़ ईक्कीस लाख रू० मात्र) का वहन किया जाना है। इस योजना की

प्राक्कलित राशि रूपये 60.22 करोड़ (साठ करोड़ बाईस लाख रू० मात्र) है, जिस पर सेन्टेज की कुल राशि रूपये 3.21 करोड़ जोड़ने पर कुल लागत राशि रूपये रू० 63.43 करोड़ (तिरसठ करोड़ तेतालीस लाख रू० मात्र) आती है।

राशि की वर्षवार व्यय विवरणी निम्नलिखित है:-

राशि करोड़ में।

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	केन्द्रांश (100%)	राज्यांश सेन्टेज राशि	वित्तीय वर्ष में कुल राशि
1	2	3	4	5
1	2017-2018	22.384	1.202	23.58
2	2018-2019	33.574	1.803	35.37
3	2019-2020 (15 Yrs. O&M)	4.26	0.228	4.48
	कुल राशि	60.22	3.21	63.43

Operation & Maintenance :- इस परियोजना का O&M कार्य संवेदक द्वारा 15 वर्षों तक किया जाना है।

5. भारत सरकार NMCG, नई दिल्ली द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश के आलोक में Project Preparation Cost अधिकत्तम 4% की राशि क्रियान्वयन एजेंसी, बुडको को देय होगा जबकि Project Supervision Cost अधिकत्तम 4% की राशि SPMG /BGCMS के द्वारा/अनुमति से भुगतेय होगा। राज्य सरकार द्वारा अनुमान्य सेंटेज की राशि क्रियान्वयन एजेंसी को देय होगा। बुडको बिहार सरकार का एक उपक्रम है। बुडको द्वारा केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार संपोषित योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाता है। बुडको के व्यय की प्रतिपूर्त्ति राज्य सरकार से प्राप्त सेन्टेज की राशि से की जाती है। इस परिपेक्ष्य में सेन्टेज का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह एक नई योजना है। बुडको इस योजना का कार्यान्वयन एजेंसी है। बुडको को इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार राज्य गंगा नदी संरक्षण कार्यक्रम प्रबंधन समिति (Bihar State Ganga River Conservation Programme Management Society), नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। राशि व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र (NMCG) भारत सरकार एवं BGCMS को बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। बुडको राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

6. राज्य मंत्रिपरिषद की दिनांक-27.03.2018 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-27 के रूप में इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी।

7. अतः भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 100% अनुमानित लागत व्यय पर कुल रू० 63.43 करोड़ रूपये (तिरसठ करोड़ तेतालीस लाख रू० मात्र) पर सुल्तानगंज नगर परिषद् क्षेत्र के अर्न्तगत Interception & Diversion (I&D) एवं STP के निर्माण हेतु अनुमानित लागत जिसमें केन्द्रांश के रूप में स्वीकृत राशि 60.22 करोड़ रूपये (साठ करोड़ बाईस लाख रू० मात्र) पर सहमति तथा इस योजना में राज्य सरकार के ओर से कार्यान्वयन एजेंसी के भुगतान हेतु सेंटेज की राशि कुल 3.21 करोड़ रू० (तीन करोड़ ईक्कीस लाख रू० मात्र) के व्यय की स्वीकृति पर सरकार की संहमति संसूचित की जाती है।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों के विभागाध्यक्ष/प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकर, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह0/-

(चैतन्य प्रसाद),
सरकार के प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक :–03 / NGRBA-07-08/2017 न0वि0एवंआ0पि0 , दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना / अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी0डी0 संलग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार रापपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक :–03 / NGRBA-07-08/2017 827 न0वि0एवंआ0पि0 , दिनांक– 30/3/18

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार / महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव / मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना / मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव / सरकार के सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्षों / सभी प्रमंडलीय आयुक्तों / सभी जिला पदाधिकारियों / प्रबंध निदेशक, बुडको / अपर सचिव–सह–निदेशक, बुडा / सहायक निदेशक, BGCMS / निदेशक, NMCG, भारत सरकार, नई दिल्ली / नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सुल्तानगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/3/2018
सरकार के प्रधान सचिव।